आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 12/15–16

गोपाल प्रसाद वनाम् युगल सिंह

आदेश

8.05.17

आवेदक गोपाल प्रसाद पिता स्व०–विशुनदेव सहाय, साकिन+थाना–करपी, जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर अधिकारों का प्रख्यापन करने एवं पैमाईश कराकर चिन्हित कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम–वाधरा, थाना–करपी,थाना नं०–200 अंचल–करपी जिला – अरवल में अवस्थित है निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहदी
69	684	कुल रकवा 60 डी० जिसमें आवेदक के हिस्से में प्राप्त 45 डी० में से 30 डी० पर विवाद	उत्तर–प्लॉट नं० 683 वाद प्लॉट नं० 682 एवं भैरव पाठक परती कदीम, दक्षिण–गोपाल प्रसाद वाद पक्की सड़क, पूरब–सूर्यदेव पाठक वगैरह वाद करपी सीवान, पश्चिम–परती कदीम, प्लॉट नं० 68

वाद की प्रविष्टी की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। तदनुसार अनुसेवी से नोटिस तामिला कराया गया और नोटिस तामिला संपुष्ट की गई। विपक्षी उपस्थित नहीं हुए और वाद की सुनवाई की एकपक्षीय सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदक के दादा मुंशी जगदेव लाल को निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदगी भूमि है।

(2) आवेदक एवं अन्य हिस्सेदारों का वंशावली निम्न है:–

स्व० मुंशी चन्दन लाल एवं मुंशी जगदेव लाल (नावल्द)

- जगदीपलाल
  - गौरी शंकर प्रसाद
- लखन लाल
  - नरायण प्रसाद
  - राम नरेश प्रसाद
- विशुनदेव सहाय
  - बबन प्रसाद
  - तारकेश्वर प्रसाद
  - गोपाल प्रसाद
  - सुरेन्द्र कुमार सिन्हा
- लालजी लाल

(3) विवादित भूमि तीन हिस्सेदार विशुनदेव सहाय, मो० सावित्री देवी, नारायण प्रसाद व राम नरेश प्रसाद के बीच बहिस्से बराबर खानगी बॅटवारा 1961 में हो गया जो राम नरेश प्रसाद को प्लॉट नं० 687 में 45 डी० हिस्से में मिला जो विकी कर दिये।

(4) विवादित भूमि में विशुनदेव सहाय को 45 डी० हिस्सा मिला जो खानगी बॅटवारा से आवेदक को प्राप्त हुआ।

(5) अपनी हिस्से के अनुसार सभी फरीकैन अपने नाम से दाखिल खारिज कराकर राजस्व का भुगतान कर रहे है।

(6) आवेदक की हिस्से की भूमि में 30 डी० भूमि विपक्षी नजायज कब्जा कर लिये है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद में पोषित कागजात का अवलोकन किया। विवादित भूमि आवेदक के दादा मुंशी जगदेव लाल के नाम से वर्ष 1940 में खरीदगी भूमि है। आवेदक का कहना है कि विवादित भूमि खानगी बॅटवारा में उनके पिता स्व० विशुनदेव सहाय को मिला और वाद में खानगी बॅटवारा में उन्हें प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा उपरोक्त कथन के समर्थन में कोई कागजात दाखिल नही किया गया है। आवेदक के द्वारा कोई राजस्व रसीद भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि खानगी बॅटवारा में विवादित भूमि आवेदक के हिस्सा में प्राप्त हुई है। बगैर आवश्यक कागजात के आवेदक के कोई अनुतोष को स्वीकृत नही किया जा सकता है, वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

18.05

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

18.05

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।